

## भारत में ऑनलाइन गेमगि बाज़ार

# प्रलिम्सि के लियै:

ऑनलाइन गेमगि, जुआ, डजिटिल इंडयाि, गेम ऑफ स्कलि, गेम ऑफ चांस, बेटगि।

### मेन्स के लिये:

ऑनलाइन गेमगि और उसका प्रभाव

### चर्चा में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा गठित**टास्क फोर्स ने भारत में <mark>ऑनलाइन गेमिग उद्योग को विनियमित करने के लिय</mark>े** अपनी सफारिशों की एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की है। **Vision** 

# टास्क फोर्स की सिफारशिं:

- ऑनलाइन गेमिंग हेतु केंद्रीय स्तर का कानून:
  - ऑनलाइन गेमिंग के लिये केंद्रीय स्तर का कानून वास्तविक धन और मुफ्त गेम पर लागू होना चाहिये, जिसमें ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट तथा कार्ड गेम शामलि हैं।
  - ॰ बिना किसी वास्तविक धन के दाँव के रूप में कैजुअल गेम को ऐसे नियमों के दायरे से बाहर रखा जा सकता है, जब तक कि भारत में उनके उपयोगकर्त्ताओं की संख्या अधिक न हो।
- ऑनलाइन गेमिंग उद्योग हेतु नियामक निकाय:
  - इसने ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिये एक नियामक निकाय बनाने की भी सिफारिश की है।
  - ॰ निकाय यह नरिधारति करेगा कि कौशल या अवसर के खेल के रूप में क्या योग्यता है, और तद्नुसार विभिन्न गेमिंग प्रारूपों को प्रमाणित करता है, अनुपालन और प्रवर्तन सुनशि्चति करता है।
    - "गेम ऑफ स्किल" मुख्य रूप से एक अवसर के बजाय किसी खिलाड़ी की विशेषज्ञता के मानसिक या शारीरिक स्तर पर आधारित होता है।
    - "गेम ऑफ चांस" हालाँकि मुख्य रूप से क<mark>सी भी</mark> प्रकार के याद्रच्छिक कारक दवारा निर्धारित किया जाता है।गेम ऑफ चांस में कौशल का उपयोग मौजूद होता है लेकनि उच्च स्तर का मौका सफलता को निर्धारित करता है।
- त्र-िस्तरीय विवाद समाधान तंत्र:
  - ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिये सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत निर्धारित एक त्रि-स्तरीय विवाद समाधान तंत्र, जिसमें शामलि हैं:
    - गेमिंग पुलेटफॉर्म स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रणाली,
    - उद्योग का स्व-नियामक निकाय,
    - सरकार के नेतृत्व में एक नरीक्षण समिति।
- एक कानूनी इकाई के रूप में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म:
  - ॰ भारतीय उपयोगकर्त्ताओं को रयिल मनी ऑनलाइन गेम की पेशकश करने वाले किसी भी ऑनलाइन गेमगि प्लेटफॉर्म (घरेलू या विदेशी) को भारतीय कानून के तहत शामलि एक कानूनी इकाई की आवश्यकता होगी।
  - ॰ धन शोधन निवारण अधनियम, 2002 के तहत इन प्लेटफॉर्मों को 'रिपोर्टिंग संस्थाओं' के रूप में भी माना जाएगा।
  - ॰ इन प्लेटफॉर्मों को **वित्तीय खुफिया इकाई-भारत को संदिग्ध लेन-देन** की रिपीर्ट करने की भी आवश्यकता होगी।
- क्षेत्र का वनियिमन:
  - MeitY द्वारा वनियिमन:
    - MeitY ई-स्पोर्ट्स श्रेणी को छोड़कर ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिये नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य कर सकता है, जसिका नेतृतव खेल वभाग कर सकता है।
    - MeitY द्वारा वनियमन के दायरे में केवल ऑनलाइन गेमिंग, यानी 'गेम्स ऑफ स्कलि' शामिल होने चाहिंये।
    - टास्क फोर्स की सिफारिश के अनुसार, ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए के प्रकृति में संयोग के खेल होने के मृद्दों को इसके

दायरे से बाहर रखा जाना चाहये।

#### सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वनियिमन:

- ऑनलाइन गेमिंग के कुछ अन्य पहलुओं जैसे **विज्ञापन, सामग्री वर्गीकरण से संबंधित आचार संहति।** आदि को सूचना और प्रसारण मंतुरालय दवारा विनियमित किया जा सकता है।
- उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा विनयिमनः
  - उपभोक्ता मामले मंत्रालय अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिये **इस क्षेत्र को विनियमित कर सकता** है।

## केंद्रीय स्तर पर एक कानून का उद्देश्य:

- ऑनलाइन गेमिंग एक राज्य विषय होने के नाते:
  - **ऑनलाइन गेमिंग राज्य का विषय रहा है,** लेकिन राज्य सरकारों के अनुसार, उन्हें अपने राज्य के भीतर कुछ एप्स या वेबसाइटों को अवरुद्ध करने के **नियम को लागू करना बेहद मुश्**किल होता है।
  - इसके अलावा चिता का अन्य विषय यह है कि एक राज्य में पारित नियम दूसरे में लागू नहीं होते हैं, जिससे देश में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करने के तरीके में असंगतता पैदा हुई है।
  - ॰ राज्य सरकारों के पास बाहरी सट्टेबाज़ी वेबसाइटों के लिये ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने हेतु**केंद्र के समान इन्हें अवरुद्ध करने की** शकतियाँ भी नहीं हैं।
- सामाजिक सरोकार:
  - ॰ देश में **ऑनलाइन गेम के प्रसार से उत्पन्न होने वाली कई सामाजिक चिताओं पर भी प्रकाश** डाला गया है।
  - देश के वभिनिन हिस्सों में **ऑनलाइन गेम पर लोगों द्वारा बड़ी रकम गँवाने की कई घटनाएँ** और इनकी वजह से होने वाली आत्महत्या की घटनाएँ सामने आई हैं।
- नियामक ढाँचे की अनुपलब्धता:
  - इसके साथ ही वर्तमान में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिये कोई नियामक ढाँचा नहीं है जैसे कि शिकायत निवारण तंत्र, खिलाड़ी संरक्षण उपायों को लागू करना, डेटा और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा एवं भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबिध आदि ।

### भारत के ऑनलाइन गेमगि बाज़ार का वसि्तार:

- राजस्व और उदयोग वृदधि:
  - भारतीय मोबाइल गेमिंग उद्योग का राजस्व वर्ष 2022 में 1.5 बिलियन <mark>अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है</mark> और वर्ष 2025 में इसके 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

Vision

- ॰ देश में यह उदयोग वर्ष 2017-2020 के बीच 38% की CAGR से बढ़ा, जबकि चीन में 8% और अमेरिका में 10% था।
  - 15% की CAGR वृद्ध के साथ वर्ष 2024 तक इसका राजस्व बढ़कर 153 बलियिन रुपए होने की संभावना है।
- उपयोगकरत्ताओं में वृद्धिः
  - भारत में भुगतान करने वाले नए गेमिंग उपयोगकर्त्ताओं (NPUs) का प्रतिशत लगातार दो वर्षों से दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है जो वर्ष 2020 में 40% और वर्ष 2021 में 50% तक पहुँच गया है।
  - EY FICCI (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लेनदेन-आधारित गेम का राजस्व 26% बढ़ा है और भुगतान करने वाले गेमर्स की संख्या 17% बढ़कर वर्ष 2020 के 80 मिलियन से वर्ष 2021 में 95 मिलियन हो गई।

### आगे की राह

- मज़बूत नीतिगत ढाँचा:
  - ॰ भारत ई-गेमगि उद्योग की क्ष<mark>मता का दोह</mark>न करने, राजस्व को अधिकतम करने और वैश्विक नेतृत्वकर्त्ता बनने की दिशा में प्रयास करने के लिये **मज़बूत नीतगित ढाँचे और डिजिटिल बुनियादी ढाँचे** की आवश्यकता है।
  - ॰ संचालन की देखरे<mark>ख करने,</mark> सामाजिक मुद्दों के समाधान वाली प्रगतिशील नीतियों का मसौदा तैयार करने, स्किल या चांस के खेल को उपयुक्त रूप से <mark>वर्</mark>गीकृत करने, उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने और अपराध को रोकने हेतु एक सरकारी निकाय की आवश्यकता है।
- सरकार और गेमिंग कंपनियों के बीच सहयोग:
  - गेमिंग कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर अवैध गतिविधियों और वित्तिय लेन-देन को रोकने के लिये गेमर्स को शिक्षित करने तथा केवाईसी करने एवं उपयोगकर्त्ता प्रमाणीकरण आदि जैसी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं द्वाराा उत्तरदायी गेमिंग को बढ़ावा देने के लिये सरकार के साथ काम करना चाहिये।

## स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

